



भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
विज्ञापन संख्या 03/2022 (आर-IV)



"सरकार ऐसे कार्यबल बनाने के लिए प्रयासरत है जिसमें महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा लिंग संतुलन प्रतिबिंबित हो।"

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रारंभ होने की तिथि: 10/09/2022

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 30/09/2022

RMRC (विकिरण चिकित्सा अनुसंधान केंद्र), कोलकाता और BARC, मुंबई में निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापित पद में बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं :

पद क्रमांक	पद का नाम	RMRC/ BARC	पदों की संख्या						कुल	शैक्षिक / तकनीकी योग्यता
			SC	ST	OBC	EWS	UR			
DR/01	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-ई (नाभिकीय चिकित्सा)	RMRC	00	00	00	00	01	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएस/एमडी या समकक्ष (नाभिकीय चिकित्सा), साथ ही निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद 4 वर्ष का अनुभव।	
DR/02	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (नाभिकीय चिकित्सा)	RMRC	00	00	00	00	02	02	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएस/एमडी (नाभिकीय चिकित्सा) या डीएनबी (नाभिकीय चिकित्सा)।	
DR/03	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (सामान्य चिकित्सा)	BARC	00	00	00	00	02	02	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामान्य चिकित्सा में एमडी/डीएनबी या समकक्ष योग्यता (स्नातकोत्तर के बाद न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव अधिमान्य और वांछनीय होगा)	
DR/04	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (ईएनटी सर्जन)	BARC	00	00	00	00	01	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ईएनटी में एमएस/एमडी या समकक्ष योग्यता (स्नातकोत्तर के बाद न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव अधिमान्य और वांछनीय होगा)	
DR/05	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (रेडियोलोजी)	BARC	00	00	00	00	01	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रेडियो-निदान में एमडी/डीएनबी या समकक्ष योग्यता	
DR/06	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (अस्पताल प्रशासक)	BARC	00	00	00	00	01	01	अस्पताल प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ एमबीबीएस, साथ ही अस्पताल प्रशासक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव	
DR/07	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (बाल रोग विशेषज्ञ)	BARC	00	00	00	00	02	02	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमडी (बाल रोग) (नवजात और बाल चिकित्सा गहन देखभाल के क्षेत्र में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी)	
DR/08	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-सी (पशु शल्यचिकित्सक)	BARC	00	00	00	00	01	01	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद ((VCI) द्वारा मान्यता प्राप्त B.V.Sc. & AH (5 वर्ष का पाठ्यक्रम), साथ ही प्रयोगशाला पशु सुविधा में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव	
DR/09	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-सी (सामान्य ड्यूटी / कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी)	BARC	01	00	01	01	02	05	एमबीबीएस के साथ एक वर्ष का संस्थागत अनुभव अनिवार्य इंटरनशिप को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा	
DR/10	तकनीकी अधिकारी-सी	BARC	06	01	16	03	09	35	भौतिक विज्ञान- सहायक विषय के रूप में गणित और रसायन विज्ञान सहित बी.एससी. भौतिक विज्ञान में न्यूनतम 60% अंक और एम.एससी. भौतिक विज्ञान में (सामान्य और नाभिकीय भौतिकी) न्यूनतम 60% अंक	

संक्षेपाक्षर: SC - अनुसूचित जाति; ST- अनुसूचित जनजाति ; OBC - अन्य पिछड़ा वर्ग; EWS - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; UR - अनारक्षित

आयु सीमा और परिलब्धियां:

पद क्रमांक	पद	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	आरंभिक वेतन*	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु (आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार)			
					SC	ST	OBC	UR
DR/01	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-ई (नाभिकीय चिकित्सा)	12	78800 + एनपीए	18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	50
DR/02	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (नाभिकीय चिकित्सा)	1 1	67700 + एनपीए	18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40
DR/03	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (सामान्य चिकित्सा)	1 1	67700 + एनपीए	18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40
DR/04	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (ईएनटी सर्जन)	1 1	67700 + एनपीए	18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40
DR/05	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (रेडियोलोजी)	1 1	67700 + एनपीए	18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40
DR/06	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (अस्पताल प्रशासक)	1 1	67700 + एनपीए	18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40
DR/07	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (बाल रोग विशेषज्ञ)	1 1	67700 + एनपीए	18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40
DR/08	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-सी (पशु शल्यचिकित्सक)	10	56100 + एनपीए	18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	35
DR/09	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-सी (सामान्य ड्यूटी / कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी)	10	56100 + एनपीए	18	40	लागू नहीं	38	35
DR/10	तकनीकी अधिकारी-सी	10	56100	18	40	40	38	35

* केंद्र सरकार के नियमों के तहत स्वीकार्य भत्ते भी देय हैं।

नोट: केवल एस. एस. सी. अंकसूची/ जन्म प्रमाणपत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र में दिखाई गई जन्म तिथि ही स्वीकार की जाएगी, बाद में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगी।

अतिरिक्त लाभ :

नियमों के तहत यथा स्वीकार्य सामान्य वेतन और भत्तों के अलावा ,परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ इस प्रकार हैं -

- उत्साहजनक कार्य का वातावरण।
- पऊवि की मेरिट प्रमोशन योजना के अंतर्गत आने वाले तकनीकी/वैज्ञानिक उच्चतर ग्रेडों हेतु पदोन्नति के अवसर।
- स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखरेख।
- आकर्षक कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन।
- आकर्षक व्यावसायिक उन्नयन भत्ता।
- भारत सरकार के आदेशों के अनुसार विभागीय आवास।

पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए मानदंड

पद क्रमांक	पद का नाम	पद के लिए लागू दिव्यांगता	पद की संख्या	अभ्युक्ति
DR/09/	चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-सी (सामान्य ड्यूटी / कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी)	ओएच (ओएल, ओए), एचएच (पीडी)	01	शारीरिक अशक्तता 40% से कम नहीं होनी चाहिए

[एचएच- श्रवण बाधित या दिव्यांग; पीडी- आंशिक रूप से बधिर, ओएच- अस्थि रोग से दिव्यांग; OL- एक पैर से प्रभावित, OA-एक हाथ से प्रभावित]

शारीरिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधी महत्वपूर्ण आवश्यकता –

- (i) आरक्षण के लिए दिव्यांगता की न्यूनतम डिग्री/प्रतिशत : 40%
- (ii) केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 के 1) की धारा 73 की उप-धारा (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31/12/1996 को अधिसूचित दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। केंद्र/राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम तीन सदस्यों का मोडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा जिसमें से कम से कम एक सदस्य संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। (अनुलग्नक -4*)
- (iii) जिनकी दिव्यांगता अस्थायी है, उनके लिए यह प्रमाण पत्र 5 साल की अवधि तक ही वैध होगा। जहां दिव्यांगता की डिग्री में भिन्नता होने की संभावना हो, मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि को इंगित करना होगा। वे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता स्थाई है, उनके प्रमाण पत्र की वैधता को स्थायी रूप में दिखाया जा सकता है। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर, मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है और मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।

कर्तव्यों का स्वरूप

पद का नाम	कर्तव्यों का स्वरूप
DR/01- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-ई (नाभिकीय चिकित्सा)	RMRC हेतु: क्लीनिकल नाभिकीय चिकित्सा सेवाएं: (i) थायरॉइड रोगों के प्रबंधन सहित पारंपरिक नैदानिक एवं उपचारात्मक नाभिकीय चिकित्सा प्रक्रियाएं। (ii) PET-CT और SPECT/SPECT-CT जैसे इन-विवो नाभिकीय चिकित्सा स्कैन के लिए सलाह देना, पर्यवेक्षण करना तथा रिपोर्ट तैयार करना। (iii) रेडियोन्यूक्लाइड उपचार: नाभिकीय चिकित्सा चिकित्सक के रूप में, उन्हें नियमित रेडियोन्यूक्लाइड उपचारों से भली-भांति परिचित होना चाहिए। अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान :चयनित अधिकारी को विभाग के वर्तमान में जारी अनुसंधान गतिविधियों में शामिल किया जाएगा और उन्हें केंद्र के अध्यापन और प्रशिक्षण गतिविधियों में भी शामिल किया जाएगा जो भविष्य में विकसित की जाएंगी।
DR/02- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (नाभिकीय चिकित्सा)	RMRC हेतु: क्लीनिकल नाभिकीय चिकित्सा सेवाएं: (i) थायरॉइड रोगों के प्रबंधन सहित पारंपरिक नैदानिक एवं उपचारात्मक नाभिकीय चिकित्सा प्रक्रियाएं। (ii) PET-CT और SPECT/SPECT-CT जैसे इन-विवो नाभिकीय चिकित्सा स्कैन के लिए सलाह देना, पर्यवेक्षण करना और रिपोर्ट तैयार करना। (iii) रेडियोन्यूक्लाइड उपचार: नाभिकीय चिकित्सा चिकित्सक के रूप में, उन्हें नियमित रेडियोन्यूक्लाइड उपचारों से भली-भांति परिचित होना चाहिए। अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान :चयनित अधिकारी को विभाग के वर्तमान में जारी अनुसंधान गतिविधियों में शामिल किया जाएगा और उन्हें केंद्र के अध्यापन और प्रशिक्षण गतिविधियों में भी शामिल किया जाएगा जो भविष्य में विकसित की जाएंगी।
DR/03- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (सामान्य चिकित्सा)	1. उम्मीदवारों को बाह्य रोगी विभाग, मिडिसिन वार्ड, इंटेंसिव केयर यूनिट और AKD में भर्ती रोगियों की देखरेख से संबंधित कार्य संभालने होंगे। 2. उम्मीदवारों को विभाग की आवश्यकता के अनुसार आपातकालीन "ऑन कॉल ज्यूटी" करनी होगी। 3. उम्मीदवारों को डीएनबी स्नातकोत्तर अध्यापन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा।
DR/04- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (ईएनटी सर्जन)	1. ईएनटी ओपीडी ,वार्ड में भर्ती रोगियों और आपातकालीन मामलों को संभालना। 2. रोटेशन के आधार पर आपातकालीन सेवा में कार्य करना। 3. ईएनटी सर्जरी और प्रक्रियाओं को दोनों नेमी रूप से और आपातकाल के समय निष्पादित करना। 4. डीएनटी छात्रों को व्यावहारिक और औपचारिक क्लास रूम शिक्षण दोनों प्रदान करना। 5. थीसिस कार्य में सह-मार्गदर्शक के रूप में और बाद में मार्गदर्शक के रूप में सहायता करना। 6. कार्मिक प्रबंधन, उपकरण देखभाल और प्रापण संबंधी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करना , आवश्यकता अनुसार बैठकों में भाग लेना आदि। उम्मीदवार को धीरे-धीरे कुछ प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को स्वतंत्र रूप से वहन करना होगा। 7. मूलभूत नैदानिक अनुसंधान करना।
DR/05- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (रेडियोलोजी)	1. उम्मीदवार को प्राथमिक रूप से सीटी और एमआरआई स्कैनिंग करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और आपातकालीन कर्तव्यों को संभालने का अनुभव होना चाहिए। 2. उम्मीदवार से बायोप्सी और सीटी निर्देशित इंटरवेंशनल प्रक्रियाएं करने की भी उम्मीद की जाती है। 3. उम्मीदवार से सोनोग्राफी और एक्स-रे का अच्छा ज्ञान रखने की अपेक्षा की जाती है।

DR/06- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (अस्पताल प्रशासक)	अस्पताल प्रशासक किचन ,लॉन्ड्री ,लिनन सेवाओं ,बायो-मेडिकल वेस्ट के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। उसे अस्पताल और आसपास के परिसर की हाउसकीपिंग ,स्वच्छता आदि की देखरेख करनी होगी। अस्पताल ,क्षेत्रीय औषधालयों ,बीएमसी और अन्य संबंधित एजेंसियों की विभिन्न अंगों ,शाखाओं और इकाइयों के साथ समन्वय और संपर्क कार्य करना। समितियों में सक्रिय भागीदारी ,दिन-प्रतिदिन रोगी देखभाल सेवाओं के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं की मांग और खरीद और चिकित्सा प्रभाग की विभिन्न परियोजनाओं में समन्वय करना।
DR/07- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (बाल रोग विशेषज्ञ)	उम्मीदवार को बाह्य रोगी विभाग ,टीकाकरण क्लीनिक और बाल चिकित्सा वार्ड ,नवजात गहन देखभाल और बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई में दाखिल हुए रोगियों की देखरेख करना होगा। उम्मीदवार को रोटेशनल आधार पर ऑन-कॉल ड्यूटी करनी होगी। डीएनबी अध्यापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। विभाग के प्रशासनिक दायित्वों में सहयोग करेंगे। उम्मीदवार को नैदानिक अनुसंधान में भी शामिल होना चाहिए।
DR/08- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-सी (पशु शल्यचिकित्सक)	प्रयोगशाला पशु सुविधा की देखभाल प्रजनन और प्रबंधन।
DR/09- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-सी (सामान्य ड्यूटी / कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी)	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी आयु वर्ग के रोगियों की देखभाल करना और परिधीय स्तर पर उनके स्वास्थ्य की देखरेख करना। 2. नेमी बीमारियों और मधुमेह मेलेटस, उच्च रक्तचाप, इस्केमिक हृदय रोग, तपेदिक, मिर्गी इत्यादि दीर्घकालिक रोगों का इलाज करना। 3. नियमित निगरानी सहित दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रसित रोगियों की मानिट्रिंग करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भेजना। 4. औषधालय में इमेरजोन्सी रोगियों का प्रबंधन और स्थिरीकरण के बाद यदि आवश्यक हो अस्पताल को रेफर करना। 5. कंप्यूटर में डाटा एंट्री, जिसमें सामान्य केस नोट्स, डायग्नोसिस, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन, सर्विस ऑर्डर बनाना, अपॉइंटमेंट आदि शामिल हैं। 6. रोग निवारक क्लीनिक जैसे वेल बेबी क्लिनिक, एन्टीनेटर क्लिनिक, स्क्रीनिंग प्रोग्राम का संचालन करना और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेना। 7. उम्मीदवारों को आपात विभाग में कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी के रूप में भी कार्य करना होगा, जब-जब तैनात किया जाता हो। 8. अस्पताल सूचना प्रणाली में डेटा प्रविष्टि हेतु उम्मीदवारों को कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए। 9. विभाग की आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य कर्तव्य। 10. प्लांट साइट पर ऑक्यूपेशनल मेडिकल फिजिशियन के कर्तव्यों का निर्वहन करना और सभी कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण संचालित करना।
DR/10- तकनीकी अधिकारी-सी	रेडियोलॉजिकल संरक्षा और कंप्यूटर अनुप्रयोगों से संबंधित। (दिनरात सतत चलने वाली पालियों में कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए)

चयन प्रक्रिया

DR/01- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-ई (नाभिकीय चिकित्सा)	चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा। अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में, यह अनुसंधान केंद्र के पास पात्र उम्मीदवारों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करके साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अनुसंधान केंद्र का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
DR/02- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (नाभिकीय चिकित्सा)	
DR/03- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (सामान्य चिकित्सा)	
DR/04- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (ईएनटी सर्जन)	
DR/05- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (रेडियोलॉजी)	
DR/06- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (अस्पताल प्रशासक)	
DR/07- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-डी (बाल रोग विशेषज्ञ)	
DR/08- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-सी (पशु चिकित्सा सर्जन)	
DR/09- चिकित्सा / वैज्ञानिक अधिकारी-सी (सामान्य ड्यूटी / कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी)	
DR/10- तकनीकी अधिकारी-सी	

सामान्य शर्तें:	
1.(ए)	आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे
(बी)	विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, कृपया वेबसाइट http://www.barc.gov.in पर लॉग इन करें। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट के होम पेज पर 'How to apply' लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए निदेशों को पढ़ें।
(सी)	ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 10/09/2022 से 30/09/2022 तक खुली रहेगी।
(डी)	उम्मीदवारों को केवल साक्षात्कार के समय ही ऑनलाइन आवेदन, प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना आवश्यक है (इन्हें वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है) और साथ ही उन्हें अपनी जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्र और मार्कशीट), जाति, अनुभव प्रमाण पत्र आदि के समर्थन में मूल दस्तावेजों सहित सत्यापित प्रतियों (स्वयं द्वारा साध्यांकित) को भी प्रस्तुत करना होगा। बिना किसी समर्थनकारी दस्तावेजों के स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के लिए रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2.	अंतिम चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा।
3.	प्रतीक्षा सूची के संचालन की वैधता चयन पैनल के तैयार होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए होगी।
4.	उपरोक्त श्रेणियों में कार्य करने वालों के कर्तव्यों के स्वरूप में दिनरात की सतत पालियों में कार्य करना शामिल है।
5.	चयनित उम्मीदवार, उनकी नियुक्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होंगे।
6.	चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभ में मुंबई/कोलकाता में पोस्ट किया जाएगा। उन्हें भारत में स्थित बीएआरसी की किसी भी इकाई में या भारत के किसी भी भाग में और परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में तैनात किया जा सकता है।
7.	बाहरी स्टेशन से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को नियमानुसार स्लीपर/द्वितीय श्रेणी के रेल किराए के अनुसार आने-जाने का यात्रा भत्ता या वास्तविक किराया (टिकटों प्रस्तुत किए जाने पर), जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जो पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार की सेवाओं, केंद्र/राज्य सरकार निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं या जो साक्षात्कार में भाग लेने संबंधी यात्रा के लिए रेलवे से कोई रियायत ले चुके हैं, उन्हें यह यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं है।
8.	<p>ऊपरी आयु सीमा में छूट:</p> <ul style="list-style-type: none"> नियमित केंद्र/ राज्य सरकार के कर्मचारी जिन्होंने उसी लाइन या संबद्ध संवर्ग में पदों पर कार्य करते हुए कम से कम तीन वर्ष की निरंतर सेवा की है, उन्हें सरकारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी। विधवा, तलाकशुदा और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई ऐसी महिलाएँ जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, वे सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए पात्र हैं। शारीरिक रूप से दिव्यांग अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक, शारीरिक रूप से दिव्यांग ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आठ साल, शारीरिक रूप से दिव्यांग अ.जा./अ.जज उम्मीदवारों के लिए दस साल तक छूट होगी। 1984 के दंगों में मारे गए लोगों के बच्चों/परिवार के सदस्यों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट स्वीकार्य होगी। यदि वे इस संबंध में आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें कि वह व्यक्ति 1984 के दंगों से प्रभावित हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी आदेश के अनुसार आयु में छूट होगी। मेधावी खिलाड़ी सरकारी आदेश के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के पात्र होंगे। उन सभी व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट स्वीकार्य होगी जो व्यक्ति मूल रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन में 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के दौरान अधिवासित रहे थे, बशर्ते कि किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट सुसंगत नियमों के तहत अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या के अधीन होगी। <p>आवासीय साक्ष्य का प्रमाण पत्र - कोई भी व्यक्ति जो दि. 09/02/2018 के डीओपीटी अधिसूचना के तहत स्वीकार्य आयु सीमा में इस छूट का लाभ पाना चाहता है, उसे निम्नलिखित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा:</p> <p>क) कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके अधिकार क्षेत्र में वे मूल रूप से रहते थे; अथवा</p> <p>ख) कोई अन्य प्राधिकारी जिसे जम्मू व कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो उससे इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाए कि वे जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के दौरान मूल रूप से अधिवासित थे।</p>
9.	आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि विज्ञापन की अंतिम तिथि अर्थात् 30/09/2022 होगी।
10.	बीएआरसी किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11.	बीएआरसी आवश्यकता पड़ने पर बिना कोई और नोटिस जारी किए या कोई कारण बताए बिना, भर्ती प्रक्रिया को रद्द/प्रतिबंधित/संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12.	विज्ञापन में दर्शाई गई रिक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के तहत ही भरी जा सकेंगी और भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार अन्यथा निर्णय लिए जाने पर, इन्हें नहीं भरा जा सकता है।
13.	विज्ञापन में निर्धारित किए गए पात्रता मानदंड और अनुभव की अवधि (यथा लागू) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी 30/09/2022 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
14.	उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने सभी सूचनाएं सही भरी हैं। जो उम्मीदवार गलत सूचना भरते हैं उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । बीएआरसी के पास किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
15.	आवेदन शुल्क और भुगतान पद्धति -आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। शुल्क की राशि -रु.500/- (पांच सौ रुपये मात्र) भुगतान पद्धति - <ul style="list-style-type: none"> ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आबंटित होने वाली आवेदन संख्या, आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक होगी और इसलिए आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान से पहले आवेदन जमा करना अनिवार्य है। परंतु ध्यान रहें कि शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने पर आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। शुल्क का भुगतान करने के लिए, उम्मीदवारों को 'My Account' के अंतर्गत 'Make Payment' विकल्प पर क्लिक करना चाहिए। आवेदन जमा करते समय आबंटित आवेदन संख्या को ड्रॉप-डाउन बॉक्स से चुना जा सकता है और 'submit' बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन भुगतान संबंधी अगले पृष्ठ पर जाया जा सकता है। 'How to pay App Fees' >>> 'Job Application' मेनू के तहत आवेदन शुल्क के भुगतान संबंधी मार्गदर्शन विस्तारपूर्वक दिया गया है। एक बार भुगतान हो जाने पर, शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जा सकता है और किसी अन्य भर्ती हेतु इसे रिजर्व में नहीं रखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले-पहले आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। टिप्पणी - अ.जा/अ.ज.जा के उम्मीदवारों, दिव्यांग व्यक्तियों और महिला उम्मीदवारों को इस शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
16.	केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त ' अनापत्ति प्रमाण पत्र ' प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा न करने पर, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
17.	विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रतिपूरक समय वर्तमान आदेश के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
18.	किसी छूट के मानकों के बिना स्वयं की योग्यता के आधार पर अन्य व्यक्तियों के साथ चयनित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों को अनारक्षित रिक्तियों के हेतु विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वह पद संबंधित श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिह्नित किया गया हो।
19.	ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने पूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए दिए जाने वाला आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पहले से ही नियमित आधार पर केंद्र सरकार के तहत सिविल साइड में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों का दावा करने के लिए हकदार नहीं हैं।
20.	क्षेत्राधिकार : इस अधिसूचना से उत्पन्न कोई भी कानूनी विवाद केवल मुंबई क्षेत्राधिकार के अधीन होगा और किसी भी विवाद के स्थिति में ,बीएआरसी वेबसाइट पर रखे गए विस्तृत विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लिया जाएगा।
21.	उपरोक्त विज्ञापन संबंधी कोई शुद्धिपत्र जारी किए जाने पर उसे केवल बीएआरसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

प्रमाणपत्रों की प्रतियां :

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय ,उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित के समर्थन में प्रमाण पत्रों की साक्ष्यांकित एकल प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए:

1. शैक्षणिक योग्यताएँ, अनुभव (यथा लागू) एवं तकनीकी योग्यताएँ (परीक्षा में लिए गए विषयों को दिखाने वाले सही मार्कशीटों* द्वारा समर्थित)। (* सेमेस्टर/वर्ष वार मार्कशीट और समेकित मार्कशीट)
2. एकीकृत पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापन में उल्लिखित अलग अलग डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।
3. जन्म तिथि /आयु का प्रमाण।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ होना चाहिए और वह जाति/समुदाय संबंधित राज्य के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया हो। (* अनुलघन-1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार) (शुल्क छूट के मामले में लागू -DR/09 और DR/10 पद के लिए लागू)
5. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के साथ जारी

किया हुआ होना चाहिए और वह जाति/समुदाय अन्य पिछड़ी जाति की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया हो। ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि विज्ञापन के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् 30/09/2022 होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को *अनुलग्नक-2 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार नॉन क्रीमी लेयर की स्थिति दर्शाने वाली स्व-घोषणा भी संलग्न करनी चाहिए।

आयु में छूट और आरक्षण के प्रयोजन हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थ होगा "अन्य पिछड़े वर्ग के वो व्यक्ति जो क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं" जिसका वर्णन भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 स्थापना (एससीटी) में परिभाषित किया गया है और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2004 और 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्थापना (आरईएस) द्वारा संशोधित दिनांक 27.05.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं.360331/1/2013-स्था.(आरईएस) (*अनुलग्नक-3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार) और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय ज्ञापन सं 36033/1/2013-स्था (आरईएस) और नवीन परिवर्तन के अनुसार संशोधित है।

6. वर्ष 1984 के दंगों से प्रभावित होने का सबूत (यथा लागू)।

7. दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 तक कश्मीर संभाग में अधिवासित होने का प्रमाण पत्र (यदि कश्मीर संभाग के लिए आयु में छूट का दावा कर रहे हैं)।

8. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण**

जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय है **₹.8 लाख (आठ लाख रुपये)** से कम है, को आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है। आय में आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष हेतु सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति आदि से होने वाली आय भी शामिल होगी। इसके अलावा, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक अथवा स्वामित्व रखने वाले परिवार के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रूप में चिह्नित नहीं किया जाएगा भले ही उनकी परिवारिक आय कुछ भी हो:

आय:

(i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;

(ii) 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

(iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड;

(iv) अधिसूचित नगर पालिकाओं से भिन्न अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के दर्जे का निर्धारण करने के लिए भूमि अथवा संपत्ति के स्वामित्व का मानदंड लागू करते समय परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न क्षेत्रों/शहरों में धारित संपत्ति को जोड़ा जाएगा।

इस प्रयोजनार्थ "परिवार" शब्द में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और उसका/उसकी पति-पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। **अनुलग्नक 5*** में यथा प्रदत्त विहित प्रपत्र में निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र को ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित होने के उम्मीदवार के दावे के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

(ए) जिलाधीश/अपर जिलाधीश / कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त /प्रथम श्रेणी स्काइपेंड्री मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / अधिशासी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त अपर सहायक आयुक्त।

(बी) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(सी) तहसीलदार रैंक का राजस्व अधिकारी तथा

(घ) उस क्षेत्र का उपमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/अथवा उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों का पालन न करने पर, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल अनारक्षित (यूआर) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।

इस विज्ञापन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार ईडब्ल्यूएस स्थिति को केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होने पर ही विचार किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार के समुदाय/ईडब्ल्यूएस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. कोई अन्य सुसंगत प्रमाण पत्र (यथा लागू)।

* अनुलग्नकों को https://recruit.barc.gov.in/Job_Application/Download_Forms लिंक द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।

टिप्पणी:

- यदि विश्वविद्यालय लेटर ग्रेड/सीजीपीए/ओजीपीए/एसजीपीए प्रदान करता है, तो उस विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार उसे अंकों के समकक्ष प्रतिशत के रूप में इंगित करना होगा। इसके अभाव में स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।
- जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 30/09/2022 तक शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है या नहीं करेंगे, वे पात्र नहीं होंगे अतः वे आवेदन न करें।

चेतावनी : जो आवेदन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट/साक्षात्कार के लिए नहीं चुने गए उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं होता है, उनके अभिलेखों को चयन सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं रखा जाएगा।

किसी भी प्रकार की अनुयाचना/सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा।

उम्मीदवारों के लिए चेक लिस्ट

(आवेदन के साथ संलग्न किया जाए और साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाए)
लागू बॉक्स में 'X' लगाएं

निम्नलिखित प्रमाणपत्रों/अंक पत्रकों में से प्रत्येक की एक सत्यापित प्रति संलग्न है

1. ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट :
2. जन्म तिथि / आयु का प्रमाण (प्रमाण पत्र) :
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाती/अन्य पिछड़ा वर्ग(यदि लागू हो) :
4. अनापत्ति प्रमाण पत्र-एनओसी (यदि लागू हो) :
5. शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता (प्रमाण पत्र और अंक तालिकाँ) :
6. अनुभव प्रमाणपत्र :
7. कोई अन्य संगत प्रमाण पत्र :

तिथि : _____

हस्ताक्षर : _____

उम्मीदवार का नाम : _____